

Delhi Legislative Assembly

BULLETIN (PART-II)

(General information relating to Legislative and other matters)
Monday, 3rd December, 2012/12 Margshirsha, 1934 (Saka)

No. 176

Hon'ble Members are hereby informed that 24 (twenty four) notices of resolutions were received by the Assembly Secretariat till the last date of receipt of Private Members Resolutions i.e., Friday, 30.11.2012. The following three resolutions have been selected on the basis of Balloting. These Resolutions would be taken up for discussion on the Private Members Day i.e. Friday the 14th December, 2012:-

S.No.	Name of the Hon'ble MLA	Text of the Resolution
1.	Shri O.P. Babber	This House resolves that the recommendation may be sent to the Center Govt. to include Vagri caste as SC/ST/OBC category.
2.	Shri Naseeb Singh	This House resolves that Section 35 and 92 of the Delhi Co-operative Societies Act and Rule 2007 be suitably amended keeping in view the public interest of the the benefit of people of Delhi.
3.	Shri Sat Prakash Rana	This House resolves that the water problem of Bijwasan Assembly Constituency be solved on priority basis as people of this area are forced to buy potable water.

P.N. MISHRA
Secretary

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

सोमवार 03 दिसम्बर, 2012/मार्गशीर्ष 12,1934 (शक)

संख्या-176

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानिकि शुक्रवार 30 नवम्बर, 2012 तक विधान सभा सचिवालय को 24 संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। तीन संकल्पों को 30.11.2012 को सम्पन्न बैलेटिंग में स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए निम्नलिखित 03 संकल्पों को गैर सरकारी सदस्यों के लिए निर्धारित कार्यदिवस शुक्रवार 14 दिसम्बर 2012 को चर्चा के लिया जाएगा:-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	संकल्प का विषय
1.	श्री ओ.पी. बब्बर	यह सदन संकल्प करता है कि वागड़ी जाति को अनुसूचित जाति/जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश की जाए।
2.	श्री नसीब सिंह	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम एवं नियम 2007 की धारा-35 एवं 92 को दिल्ली के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार संशोधित किया जाए।
3.	श्री सत प्रकाश राणा	यह सदन संकल्प करता है कि बिजवासन विधान सभा क्षेत्र की पानी की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए चूंकि क्षेत्र की जनता खरीद कर पानी पीने को मजबूर हैं

पी.एन. मिश्रा
सचिव